

8-	राजेंद्र सिंह पुत्र श्री मलखान सिंह द्वारा नन्दशेखर सिंह 81/5 तिलकनगर अल्लापुर, इलाहाबाद 211 006	पैलीभीत
9-	धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामगहन मण्ड 1/476 संक्टर-1 विकास नगर अलीगज लखनऊ 202 6022	बरली
10-	योगेंद्र कुमार पुत्र श्री वीर सिंह 453 लुमान कालानी चावमडी रुडकी जिला- हरिद्वार (उत्तरांचल)	महारनपुर
11-	अनिल कुमार पुत्र श्री चौथी राम 16/871 इन्दिरानगर, लखनऊ, 226 016	महिला अमली
12-	जितेंद्र कुमार पुत्र श्री अमीर सिंह ग्राम- गढमलपुर पो 0 केशनपुर आवला (नजोवावाद) जिला- मिर्जापुर।	महिला शामली
13-	उमेश चन्द्र कटियार पुत्र श्री रामआशर कटियार नहर काठी, भोगनीपुर पो भोगनीपुर जिला- गानपुर देहात	आसी
14-	नन्दराम शाक्य पुत्र श्री रामस्वरूप शाक्य ग्राम व पो 0 बहवलपुर (त्रिवरामऊ) कन्नौज 209 721	सोरो

नियुक्ति अभ्यर्थियों द्वारा पदभार ग्रहण करने पर वरिष्ठता गट में निर्धारित की जायेगी। उपरोक्त अभ्यर्थियों का पदभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे -

- 1- सभी शैक्षिक एवं अन्य सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।
- 2- दो राजपत्रित अधिकारियों जो उनके सम्बन्धी न हो के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।
- 3- एक पत्नी जीवित होने अथवा अविवाहित होने का प्रमाण-पत्र।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र।
- 5- भारतीय संविधान के प्रति निष्ठावान रहने का प्रमाण-पत्र।

पदभार ग्रहण करने की सूचना के साथ उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र निदेशालय एवं क्षेत्रीय कार्यालय में जायें। दिनांक-18/06/2001 तक नियुक्त अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है। यदि निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थ होता है तो इनके नियुक्ति आदेश स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

पदभार ग्रहण करने हेतु नियुक्त अभ्यर्थी को किसी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(उषा विरजी)

निदेशक

प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।